

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), आसीन्द बईजलास संदीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	104/2021
G.C.M.S. प्रकरण संख्या	2021/307
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	11.11.2021
निर्णय की दिनांक	30.09.2022

1 संतोक पि.उरजा भील नि.सुलिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

- वादी

1 नाथू पि.उमा भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

2 सोहनी पुत्री हजारी भील नि.बोरेला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की और से एडवोकेट श्री पद्मसिंह देथा एवं प्रतिवादीगण की और से एडवोकेट एक तरफा कार्यवाही की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 30.09.2022 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है, और विभाजन अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है कि:-

- ग्राम बोरेला खाता संख्या 10 व 43

1. संतोक पि.उरजा भील सा.सूलिया ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा तहसील करेड़ा खातेदार

आराजी नम्बर	रकबा	लगान	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
694	0.05		706	0.04	711	0.06	
695	0.04		707	0.11	712	0.21	
696	0.38		708	0.15	713	0.30	
697	0.07		709	0.04	714	0.30	
705	0.17		710	0.09	716	0.20	
					718	0.20	
योग	किता	17			रकबा	2.50	22.94

2-नाथू हजारी पि.उमा देऊ पत्नि उमा भील सा.देह खातेदार -

आराजी नम्बर	रकबा	लगान	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
690	0.18		692	0.02	717	0.25	
691	0.07		693	0.09			
योग	किता	5			रकबा	0.61	4.05


यह आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।



सहायक कलेक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

वाद के खर्च

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
1. वाद-पत्र के लिए स्टाम्प	2	-	1. शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प	-	-
2. शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प	1	-	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	-	-
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	2	-	3. प्लीडर की फीस	-	-
4. रुपयों पर प्लीडर की फीस	-	-	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-	-
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-	-	5. आदेशिका की तामील	-	-
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	1	-	6. कमिश्नर की फीस	-	-
7. आदेशिका की तामील	-	-			
योग	6	-	योग		-


 आयुक्त, जिला न्यायालय, जयपुर
 आसीन, जयपुर

